बिहार सरकार
उद्योग विभाग
बिहार पटना

2/उ0नि0 (अधिसूचना) विविध–31/06

अधिसूचना

विषयः– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

(1) (i) केन्दीय सरकार ने का.आ.1636(अ) दिनांक 29.09.2006 द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा–8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमों का कार्य करने वाले विभाग या निदेशालय में समतुल्य पंक्ति के जिला स्तरीय अधिकारी को, उस पदाधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया है जिसके पास ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या उत्पादन करने में लगे मध्यम, उद्‌यम की स्थापना करने का आशय रखता है या जिन्होंने पहले स्थापना कर ली है ज्ञापन (Memorandum) फाइल किया जायेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा–8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, तथा लैण्ड बैंक योजना के अंतर्गत के क्षेत्र के लिए प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना प्राधिकार को उस प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके पास ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उक्त अधिनियम की धारा–8 की उपधारा (1) के खण्ड 'क' एवं 'ख' में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या उत्पादन करने में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्‌यम की स्थापना करने का आशय रखता है या जिन्होंने पहले ही स्थापना कर ली है ज्ञापन (Memorandum) फाइल किया जायेगा।

(2) उद्‌योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्‌यमों की दशा जैसेः–

(i) (क) एक सूक्ष्म उद्‌यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी मे विनिधान (investment) पचीस लाख से अधिक न हो।

(ख) एक लघु उद्‌यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान (investment) पचीस लाख से अधिक हो किन्तु पाँच करोड़ रूपये से अधिक न हो।

(ग) एक मध्यम उद्‌यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान (investment) पाँच करोड़ से अधिक हो परन्तु दस करोड़ से अधिक न हो।

(ii) सेवाएँ प्रदान करने या उपबन्ध कराने में लगे उद्‌यमों की दशा में–

(क) एक ऐसे सूक्ष्म उद्‌यम के रूप में जहाँ उपकरण में विनिधान (investment) दस लाख रूपये से अधिक न हो।

(,ख) एक ऐसे लघु उद्‌यम के रूप में जहाँ उपकरण में विनिधान (investment) दस लाख रूपये से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक नही हो।

(,ग) ऐसे मध्यम उद्‌यम के रूप में जहाँ उपकरण में विनिधान (investment) दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पाँच करोड़ रूपये से अधिक न हो।

(3) उक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्‌यमों के नियंत्री पदाधिकारी उद्‌योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

ह०/- 11.12.06
औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना

C/1/Misc./Notification

ज्ञापांक 4801 दिनांक 12/12/06

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक मे करते हुए इसकी 500 प्रतियां विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह०/- 11-12-06

औद्योगिक विकास आयुक्त

उद्‌योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 4801 दिनांक 12/12/06

प्रतिलिपिः— सभी विभागो/विभागाध्यक्षो/उद्योग विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्तो/सभी जिला पदाधिकारियो/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वितीय निगम/बिहार राज्य साख एवं निनियोग निगम/बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना/वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैक पटना/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान पटना/राज्य स्तरीय बैकर्स समन्वय समिति पटना/सभी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन पटना/चेम्बर्स आफ कामर्स पटना/रिजर्व बैक आफ इण्डिया पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 11-12-06

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना